

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: अगस्त, 2026

विषय— तालाब/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से गाँ निधि में प्राप्त होने वाली आय के अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-1248/एक-2- 2026-1955561 दिनांक 17.07.2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों में तालाब/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से गांव निधि में प्राप्त होने वाली आय को 31 अगस्त, 2026 तक शत-प्रतिशत गांव निधि (विलेज फण्ड) में अंतरित किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2— 16वें वित्त आयोग की संस्तुतियों में अनुदान राशि के अंतरण की शर्तों में 10 प्रतिशत अनुदान राशि को ओ.एस.आर. के परफारमेंस से जोड़ा गया है। 16वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2028-29 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तीन वर्षों में रु 8326.5 करोड़ की धनराशि परफारमेंस ग्रांट के रूप में प्राप्त होनी है। ग्रामीण विकास हेतु ग्राम पंचायतों की आत्मनिर्भरता एवं परफारमेंस ग्रांट की प्राप्ति हेतु तालाब/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से गांव निधि में प्राप्त होने वाली धनराशि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 17.07.2026 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार तालाबों/अन्य स्रोतों के पट्टों/नीलामी से होने वाली आय/राजस्व के सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग एवं राजस्व विभाग के जनपद एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन कराते हुए ग्राम पंचायतों के अंश को गांव निधि में अंतरित कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:—यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by
ANIL KUMAR
Date: 13/08/2026
11:17:28
प्रमुख सचिव।

-2-

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० शासन।
- 3- निदेशक, पंचायतीराज उ०प्र० लखनऊ।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 6- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) एवं समस्त उप जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं०) उ०प्र०।
- 8- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
RAJESH KUMAR TYAGI
Date: 13-08-2026
13:51:38
(राजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।